

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प जामोली

दिनांक :- 09-11-2021

प्रकरण संख्या / 851/21

उनवान

श्री रामनाथन सत्तक पुत्र
उदयलाल कलाल

वनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का जामोली अ. नि. पको एवं नायब तहसीलदार

/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जामोली प. ह. जामोली

की वर्तमान जमाबन्दी सन्वत 2073-74 के खाता संख्या 302, 303, 304 में

प्रार्थीगण की प्रविष्टि नाथन सत्तक पुत्र उदय कलाल

के स्थान पर रामनाथन सत्तक पुत्र उदयलाल कलाल

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश

जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

hu

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री रामनाथन सत्तक पुत्र उदयलाल कलाल
3. रक्षित पत्रावली

hu

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा